प्रगतिशील स्त्री विमर्श

नमूना • SAMPLE

नमूना • SAMPLE

प्रगतिशील स्त्री विमर्श

डॉ. गौरव त्रिपाठी, डॉ. कामिनी वर्मा

नमूना • SAMPLE

अखण्ड पब्लिशिंग हाऊस
दिल्ली (भारत)

अखण्ड पब्लिशिंग हाऊस
एल–9ए, प्रथम तल, गली न0 42,
सादतपुर एक्सटेंसन, दिल्ली–110094 (भारत)
Phone : 9968628081, 9555149955, 9013387535
E-mail : akhandpublishinghouse@gmail.com
akhandpublishing@yahoo.com
Website : www.akhandbooks.com

प्रगतिशील स्त्री विमर्श

संस्करण : 2019
© सम्पादक
ISBN: 978-93-88998-43-7

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस प्रकाशन के किसी भी हिस्से को प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना इलेक्ट्रॉनिक या किसी अन्य माध्यम द्वारा पुनः प्राप्ति समेत किसी भी रूप में प्रतिलिपिकृत, अनुवादित, संगृहीत नहीं किया जा सकता है और न ही किसी भी रूप में या किसी भी माध्यम द्वारा इसे प्रसारित किया जा सकता है।
इस पुस्तक में लेखक द्वारा व्यक्त विचार उनके व्यक्तिगत हैं जिसका प्रकाशक से कोई संबंध नहीं है।

भारत में प्रकाशित

झपसू यादव 'अखण्ड पब्लिशिंग हाउस' के द्वारा प्रकाशित।

SAMPLE COPY

समर्पण

हमारे प्रेरणा स्रोत
प्रातः स्मरणीय एवं पूजनीय
त्रिलोक नाथ त्रिपाठी
एवं
पूजनीया
श्रीमती सुशीला त्रिपाठी
को सादर!

नमूना • SAMPLE

नमूना • SAMPLE

भूमिका

कभी यह कथन बहुत ही चर्चित रहा कि स्त्रियाँ पैदा नही होती अपितु बनायी जाती हैं किंतु आज के दौर में उक्त कथन की प्रभावशीलता में ह्रास आया है। वर्ष 2000 के बाद से देखने को मिला है कि लिंगीय भेद–भाव कम हुआ है। पालन पोषण एवं शिक्षा में असमानता का स्तर धीरे–धीरे क्षीण हो रहा है। इस क्षीणता के पीछे जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणामों के प्रति चेतना एवं भ्रूण परीक्षण पर प्रतिबंध जैसे कारक उत्तरदायी हैं। आज स्त्रियाँ समाज द्वारा बनायी गयी रूढ़िवादी बेड़े से अपने को मुक्त करने की चेतना के साथ आधा आकाश प्राप्त करने का न केवल पूर्णतः प्रयास करती हुयी दिखायी पड़ती हैं अपितु प्राप्त कर रही हैं। मुस्लिम स्त्रियों नें तलाक जैसे रूढ़िवादी कानून के प्रति स्वयं संघर्ष प्रारंभ कर सर्वोच्च न्यायालय सें अवैध घोषित करवाया परिणामतः संसद को इस संदर्भ में नया कानून बनाना पड़ा।

एक समय था कि जब तकनीकी का विकास केवल पुरूष के कार्य क्षेत्र में होता था किंतु वह समय आज परिवर्तित हो गया है। स्त्रियों का उत्पादन क्षेत्र में भागीदारी बढ़ने से उनके लिये भी तकनीकी का विकास द्रुत गति से हुआ है। आज स्त्रियाँ सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक क्षेत्रों के साथ–साथ क्रीड़ा क्षेत्र में भी अपना परचम लहराया है। महिलाओं ने आज तृणमूल लोकतंत्र में निर्णय निर्माण में सशक्त भागीदारी के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल में अहम पदों यथा–रक्षा, विदेश, मानव संसाधन, वस्त्र, को सुशोभित किया है। महिलाओं की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कतिपय दलों ने 2019 के लोकसभा निर्वाचन के उम्मीदवारों में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान किया है। महिलाओं की ताकत को देखते हुये 15 वर्ष पूर्व ही एक व्याख्यान में सुभाष कश्यप ने कहा था कि महिलाओं का आरक्षण विधेयक पारित कर देना चाहिए नही तो एक दिन आयेगा जब

SAMPLE

उनमें राजनीतिक चेतना जागृत हो जायेगी तब वे अपना दल बनाकर संसद में 50% हिस्सेदारी प्राप्त करने का संघर्ष प्रारंभ करेंगी तब राजनीतिक दल एवं पितृसत्तात्मक व्यवस्था के पक्षकार ठगे महसूस करेगें। आज वैश्विक पटल पर स्त्रियों की स्थिति में गुणवत्तापूर्ण परिवर्तन आया है। स्त्रियों ने आज समाज में दोहरी भूमिका अदा कर व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों को संतुलित कर रखा है। इन सबके बावजूद भी स्त्रियाँ निर्णय की स्वतंत्रता पर लगने वाली पाबंदियों का प्रतिरोध मुखर रूप से कर रही हैं।

आज जब यह पुस्तक प्रकाशित होने की स्थिति में तैयार है तब मैं इस पुस्तक में लेख देकर योगदान करने वाले समस्त विद्वानों के प्रति आभार व्यक्त करना अपना पुनीत कर्तव्य समझता हूँ। इस अवसर पर मैं प्रो. डॉ. लालजी त्रिपाठी पूर्व प्राचार्य, मड़ियाहूँ पी.जी.कॉलेज, मड़ियाहूँ, जौनपुर के प्रति हृदय से आभारी हूँ जिनके सहयोग, मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद के बिना यह पुस्तक इस शीर्षक से कभी न प्रकाशित हो पाती। मैं प्रो. डॉ. श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी, गोरखपुर विश्वविद्यालय, प्रो. डॉ. गोपाल शर्मा जी, गोरखपुर विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, वाराणसी के प्रो. डॉ. नंद लाल जी, डॉ. मो. आरिफ जी, डॉ. सूर्यभान जी, डॉ. रेशम लाल जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रो. डॉ. पंकज कुमार जी, प्रो. डॉ. अनुराधा जी, प्रो. डॉ. वी.के.राय जी डॉ. आशीष सक्सेना जी, प्रो. आर. के. सिंह जी, डॉ. अनुपम पांडेय जी, मेरठ विश्वविद्यालय के प्रो. डॉ. संजीव शर्मा जी, राजर्षि टंडन विश्वविद्यालय के प्रो. डॉ. सुधांशु त्रिपाठी जी एवं डॉ. मनोज कुमार जी उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के डॉ. सूर्य भान सिंह जी, पूर्व कुलपति प्रो. डॉ. एम. पी. दूबे जी, इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. डॉ. राजेंद्र यादव जी, अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद के कुलपति प्रो. डॉ. मनोज दीक्षित जी एवं महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के कुलपति प्रो. टी.एन. सिंह जी के प्रति आभारी हूँ जिनके प्रत्यक्ष व परोक्ष सहयोग से यह कार्य मैं संपादित कर सका हूँ।

इस अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश राजकीय महाविद्यालय परिवार के सदस्यों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित न करूँ तो यह मेरी कृतघ्नता होगी। इसी परिवार ने हमें ऐसी मानसिक ऊर्जा प्रदान किया है जिससे हम यह कार्य करने के योग्य हो सकें हैं। इस क्रम में मैं प्रो. डॉ. प्रीति गौतम, निदेशक, उ. प्र.उच्च शिक्षा, प्रो. संयुक्त शिक्षा निदेशक डॉ. पी. के. वार्ष्णेय जी एवं प्रो डॉ.

दिलीप कपूर जी, संयुक्त सचिव प्रो. डॉ. अमित भारद्वाज जी, सहायक निदेशक डॉ. शैलेंद्र कुमार तिवारी जी, डॉ. वी. एल. शर्मा जी, डॉ. संजय सिंह जी के साथ–साथ प्रो. डॉ. सविता भारद्वाज जी प्राचार्या गाजीपुर, प्रो. डॉ. शीलप्रिय त्रिपाठी जी प्राचार्य फतेहपुर, प्रो. डॉ. पी. एन. डोगरे जी प्राचार्य ज्ञानपुर, प्रो. डॉ. सुधा पांडेय जी प्राचार्या डी एल डब्ल्यू वाराणसी, प्रो. डॉ. यशोधरा शर्मा जी प्राचार्या सेवापुरी, प्रो. डॉ. जय शकंर मिश्रा जी प्राचार्य अतरसंड प्रतापगढ़, प्रो. डॉ. एच. पी सिंह जी नैनी इलाहाबाद, प्रो. डॉ. दुर्गेश शुक्ल जी प्राचार्य मानिकपुर, प्रो. डॉ. सत्येंद्र यादव जी प्राचार्य हमीरपुर, प्रो. डॉ. कुमुद त्रिपाठी जी, सहजनवां गोरखपुर, प्रो. डॉ. अपर्णा मिश्रा जी प्राचार्या पूरे गोसाई, रानीगंज, प्रतापगढ़, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी द्वय प्रो. डॉ. अश्विनी मिश्र जी एवं प्रो. डॉ. ज्ञान प्रकाश वर्मा जी के साथ–साथ राजकीय महाविद्यालय के विद्वानों डॉ. एस. एन. वर्मा जी, डॉ. के. के. उजाला जी, डॉ. नरेंद्र गुप्त जी, डॉ. विष्णु कांत त्रिपाठी जी, डॉ. महेंद्र त्रिपाठी जी, डॉ. श्री प्रकाश मिश्र जी, डॉ. लक्ष्मी यादव जी, डॉ. रीना सिंह जी, डॉ. भाष्कर द्विवेदी जी, डॉ. विशाल श्रीवास्तव जी, डॉ. जितेंद्र विक्रम वेद जी, डॉ. राजेंद्र विश्वकर्मा जी, डॉ. आनंद मिश्र जी, डॉ. राकेश जायसवाल जी, डॉ. भैया लाल जी, डॉ. पीयूष चंद्र मिश्र जी, डॉ. अवधेश कुमार मिश्र जी, डॉ. बृजेश मिश्र जी, डॉ. गगन कुमार जी, डॉ. माधवी शुक्ला जी, डॉ. प्रियंका पटेल जी, डॉ. संगीता सिन्हा जी, डॉ. मिथिलेश सिंह जी, डॉ. सुरेंद्र सिंह यादव जी, डॉ. अरविंद शुक्ल जी, डॉ. राकेश शुक्ल जी, डॉ. जितेंद्र बहादुर सिंह जी, डॉ. रीता सिंह जी, डॉ. पवन कुमार गुप्ता जी, डॉ. तेज प्रकाश चतुर्वेदी जी, डॉ. सर्वजीत सिंह जी, डॉ. प्रभात पांडेय जी, डॉ. विवेकानंद जी, डॉ. रेखा श्रीवास्तव जी, डॉ. वंदना भारद्वाज जी, डॉ. रीतेश सिंह जी, डॉ. सुधा पांडेय जी, डॉ. विजय मिश्र जी, डॉ. शैलजा जी, डॉ. आनंद कुमार जी, डॉ. प्रिया त्रिपाठी जी, डॉ. जितेंद्र कुमार पांडेय जी, डॉ. अरविन्द उपाध्याय जी, डॉ. उपेंद्र सिंह जी, डॉ. अखिलेश सिंह जी, डॉ. विंध्याचल यादव जी, डॉ. सुजीत सिंह जी, डॉ. नूर फातिमा जी, राजकीय महाविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉ. दिनेश कुमार राजपूत जी एवं महामंत्री डॉ. धीरेंद्र सिंह जी तथा हमारे परम स्नेही डॉ. अतुल पांडेय जी एवं डॉ. मृत्युंजय सिंह जी के प्रति आभारी हूँ जिनके सहयोग एवं सुझाव से यह कार्य पूर्ण किया हूँ।

इस अवसर पर गाँधी मूल्यों के संवाहक पं. शिव मूर्ति तिवारी, त्रिलोक नाथ त्रिपाठी जी, राधेश्याम त्रिपाठी जी, ओंकार नाथ त्रिपाठी जी, के प्रति भी मै श्रद्धावनत हूँ जिसके सतत् आशीर्वाद से हम यहाँ पहुँचे हैं। आज इस बेला पर पूजनीय डॉ. कमला कांत त्रिपाठी जी प्राचार्य इंटर कालेज, तेजगढ, प्रतापगढ़ एवं पूजनीया श्रीमती कल्पना त्रिपाठी जी के चरणों में सांष्टांग प्रणाम करता हूँ तथा श्रीमती प्रतिज्ञा त्रिपाठी जो रचनात्मक कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करती रहती हैं, के प्रति आभारी हूँ।

अंत में मैं डॉ. राम राज सिंह मौर्य जी लालगंज मीरजापुर के प्रति ह्रदय से आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने पृष्ठभूमि में रहते हुये हमें आगे बढ़ानें हेतु सदैव क्रियाशील रहते हैं तथा पुस्तक के सफल प्रकाशन हेतु मैं अखण्ड पब्लिशिंग हाऊस, दिल्ली एवं उसके स्वामी वीरेंन्द्र कुमार यादव जी के प्रति ह्रदय से आभार व्यक्त करता हूँ।

डॉ॰ गौरव त्रिपाठी, डॉ. कामिनी वर्मा

नमूना • SAMPLE

योगदान सूची

1. **डॉ. कामिनी वर्मा,** एसोसिएट प्रोफेसर, इतिहास विभाग, काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ज्ञानपुर भदोही उत्तर प्रदेश।
2. **प्रो. सविता भारद्वाज,** प्राचार्य, राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गाजीपुर उत्तर प्रदेश।
3. **डॉ. अनुपम शाही,** एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, हरिश्चन्द्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश।
4. **डॉ. के.एच. वासनिक,** एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, सरकार विदर्भ विज्ञान और मानववादी संस्थान, अमरावती, महाराष्ट्र।
5. **डॉ. गौरव त्रिपाठी,** असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, श्रीमती इन्दिरा गांधी राजकीय पी जी कालेज, लालगंज, मीरजापुर, उत्तर प्रदेश।
6. **डॉ. सुमन शुक्ला,** असिस्टेन्ट प्रोफेसर, इतिहास विभाग, राजकीय महिला महाविद्यालय, बाँगर, कन्नौज, उत्तर प्रदेश।
7. **डॉ. राजकुमार पाठक,** राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त, अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्य, वि0ना0राजकीय इण्टर कालेज ज्ञानपुर, भदोही, उत्तर प्रदेश।
8. **डॉ. आशीष धर त्रिपाठी,** अतिथि प्रवक्ता, राजनीति शास्त्र विभाग, प्रयागराज विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।
9. **डॉ. ब्रजेश श्रीवास्तव,** असिस्टेंट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय, मानिकपुर, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश।

SAMPLE

10. **डॉ. भावना सिंह,** असिस्टेंट प्रोफेसर, गणित विभाग, डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी राजकीय महाविद्यालय, भदोही, उत्तर प्रदेश।

11. **डॉ. माया यादव,** असिस्टेंट प्रोफेसर, वनस्पति विभाग, डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी राजकीय महाविद्यालय, भदोही, उत्तर प्रदेश।

12. **डॉ. शैलेश कुमार पाण्डेय,** असिस्टेन्ट प्रोफेसर, बी0एड्0 विभाग, एम.डी.पी.जी. कालेज, प्रतापगढ, उत्तर प्रदेश।

13. **शशि प्रभा गौतम,** असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय, जक्खिनी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश।

14. **डॉ. धीरज कुमार गुप्ता,** असिस्टेंट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग, काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ज्ञानपुर, भदोही, उत्तर प्रदेश।

15. **डॉ. देवेन्द्र नारायण सिंह,** प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान विभाग, संजय मेमोरियल महिला महाविद्यालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश।

16. **डॉ. जितेन्द्र विक्रम वेद**, असिस्टेंट प्रोफेसर, शारीरिक शिक्षा विभाग, पं. दीनदयाल उपाध्याय महाविद्यालय, मेहरौनी, ललितपुर, उत्तर प्रदेश।

17. **डॉ. सुमन मौर्य,** असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीतिक विज्ञान विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान।

18. **डॉ. वन्दना कुमारी,** असिस्टेंट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हमीरपुर, उत्तर प्रदेश।

19. **डॉ. सीमा श्रीवास्तव,** असिस्टेंट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, राजकीय महाविद्यालय मेहरौनी, ललितपुर, उत्तर प्रदेश।

20. **डॉ. वेद प्रकाश उपाध्याय,** असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीतिक विज्ञान विभाग, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी राजकीय महाविद्यालय, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।

22. **डॉ. रत्निका श्रीवास्तव,** सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतक, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

SAMPLE

23. **डॉ. मनीषा,** असिस्टेंट प्रोफेसर, गृह विज्ञान विभाग, काशी नरेश राजकीय पी.जी. कॉलेज, ज्ञानपुर, भदोही उत्तर प्रदेश।

24. **डॉ. रुपा सिंह,** एसोसियट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय, अलवर, राजस्थान।

25. **डॉ. वन्दना शर्मा,** असिस्टेंट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय स्वार, रामपुर उत्तर प्रदेश।

नमूना • SAMPLE

नमूना • SAMPLE

विषय सूची

	समर्पण	*v*
	भूमिका	*vii*
	योगदान सूची	*xi*
1.	भारतीय समाज में किराये की कोख *—डॉ. कामिनी वर्मा*	1
2.	'आधी आबादी और उसका सशक्तिकरण' *—डॉ. अनुपम शाही*	12
3.	खेल जगत में भारतीय महिलाओं की भूमिका *—डॉ. जितेन्द्र विक्रम वेद, डॉ. वन्दना शर्मा*	20
4.	भारत के परिपेक्ष्य में महिला प्रतिनिधित्व *—डॉ. के. एच. वासनिक*	24
5.	महाराष्ट्र में महिला प्रतिनिधित्व *—डॉ. के. एच. वासनिक*	38
6.	भारत में स्त्री शिक्षा एवं संभावनाएं *—डॉ. सुमन शुक्ला*	52
7.	कामकाजी महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा *—डॉ. आशीष धर त्रिपाठी*	62
8.	भारत में महिलाओं की दशा एवं दिशा *—डॉ. ब्रजेश श्रीवास्तव*	72
9.	महिला सशक्तिकरणः एक विश्लेषण *—डॉ. भावना सिंह, डॉ. माया यादव*	76

SAMPLE

10. महिला सशक्तिकरण और शैक्षिक नीतियाँ 82
—डॉ. शैलेश कुमार पाण्डेय

11. महिलायें और मानवाधिकार 91
—शशि प्रभा गौतम

12. भारतीय अर्थव्यवस्था में नारी उद्यम की भूमिका 107
—डॉ. धीरज कुमार गुप्ता

13. तीन तलाक, महिलाएं और मानवाधिकार 118
—डॉ. वेद प्रकाश उपाध्याय

14. भारत में महिला आरक्षण की राजनीति 126
—डॉ. देवेन्द्र नारायण सिंह

15. इक्कीसवीं सदी में विज्ञान, विकास और स्त्री 135
—प्रो. सविता भारद्वाज

16. महिला सशक्तिकरण : नवाचार एवं प्रयास 146
—डॉ. सुमन मौर्या

17. नई सहस्त्राब्दी की नारी : विशिष्ट उपलब्धियाँ 158
—डॉ. वन्दना कुमारी

18. नारीवादी राजनीतिक संघर्ष : एक मूल्यांकन 174
—डॉ. सीमा श्रीवास्तव

19. भारतीय नारी की यात्रा 181
—डॉ. राजकुमार पाठक

20. महिलाएं एवं राजनीतिक भागीदारी 191
—डॉ. गौरव त्रिपाठी, डॉ. रत्निका श्रीवास्तव

21. नारी के अस्तित्व पर प्रश्नचिन्ह : बलात्कार 203
—डॉ. मनीषा

22. भारतीय समाज और स्त्री अस्मिता 212
—डॉ. रूपा सिंह

SAMPLE

1

भारतीय समाज में किराये की कोख

135 करोड़ आबादी वाले देश भारत में बहुत से दम्पत्ति निर्उदरता का दर्द सहन कर रहे है। जहाँ कुछ साल पूर्व वैश्विक स्तर पर परिवार को सीमित रखने पर ध्यान दिया जाता था वहीं आज सम्पूर्ण विश्व में अत्यधिक तनाव, देर से विवाह, नशे की लत एवं पर्यावरण प्रदूषण के कारण बहुत से युगल संतान प्राप्ति की इच्छा होने के बावजूद संतानोंत्पत्ति में असमर्थ हैं। ऐसी स्थिति में उनके सामने संतान प्राप्ति के दो विकल्प होते है या तो वह किसी अन्य के अथवा किसी अनाथ बच्चे को संतान के रूप में स्वीकार कर ले अथवा किसी वैज्ञानिक तकनीक से शिशु का निर्माण कर ले। किसी अन्य की संतान को अपनी संतान के रूप में अपनाने में अधिकांश युगल हिचकिचाते है, ऐसे में उनको किराये की कोख ''द्वारा शिशु प्राप्त कर लेना बेहतर विकल्प दिखाई पड़ता है।

किराये की कोख को 'स्थानापन्न मातृत्व' तथा अंग्रेजी में सरोगेसी (Surrogacy) के नाम से जाना जाता है। सरोगेसी शब्द लैटिन भाषा के 'सबरोबेट' शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है किसी और को अपने काम के लिये नियुक्त करना। सरोगेसी चिकित्सा विज्ञान की एक ऐसी तकनीक है जिसमें कोई महिला अपनी गर्भावस्था किसी अन्य अनुर्वर युगल को शिशु प्राप्ति के निमित्त प्रदान करती है अर्थात् सरोगेसी से अभिप्राय है 'माँ का विकल्प'। सरोगेट मदर एक ऐसी माँ होती है जिसके गर्भ में किसी अन्य युगल का भ्रूण विकसित होकर शिशु का रूप धारण करता है। इस प्रक्रिया में किसी अन्य दम्पत्ति के अण्डाणु और शुक्राणु को प्रयोगशाला में निषेचित करके भ्रूण का निर्माण किया जाता है तदुपरान्त उसे सरोगेट मदर के गर्भ में

SAMPLE

प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। गर्भावस्था की नियत अवधि तक यह भ्रूण उस महिला की कोख में पोषित होता है तथा प्रसवोपरान्त यह बच्चा उस युगल का हो जाता है जिनके अण्डाणु और शुक्राणु से भ्रूण निर्मित हुआ था।

सरोगेट विशेषज्ञ के अनुसार जब कोई महिला गर्भधारण करने में अयोग्य होती है तब इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इसमें पुरूष के स्पर्म और स्त्री के एग को लेकर एन्क्यूबेटर में गर्भ जैसे वातावरण में रखा जाता है तथा भ्रूण तैयार होने पर किसी तीसरी महिला की कोख में इन्जेक्ट कर दिया जाता है। जैविक रूप से सरोगेट मदर का बच्चे से कोई सम्बन्ध नहीं होता है। इस प्रक्रिया में आई.वी.एफ. अर्थात् इनविट्रोफर्टिलाइजेशन तकनीक द्वारा कृत्रिम वातावरण में निषेचन किया जाता है और यहीं जीव के विकास की प्रक्रिया आरम्भ होती है तत्पश्चात् भ्रूण को गर्भाशय में पोषित करने की प्रक्रिया आरम्भ की जाती है महिला का अण्डाणु तैयार करने के लिये दवाइयाँ दी जाती है तथा सोनोग्राफी द्वारा अण्डाणुओं के विकास का निरीक्षण चलता रहता है। पूर्ण रूप से विकसित डिम्ब को महिला को एनेस्थिसिया देकर निकाल लिया जाता है फिर पुरूष के शुक्राणुओं से परखनली में मेल करवाया जाता है। इस प्रकार दो से पाँच दिन में तैयार हुये भ्रूण को सरोगेट मदर की कोख में स्थापित कर दिया जाता है।

इस तकनीक की आवश्यकता उन परिथितियों में होती है जब–

1. आई.वी.एफ. उपचार असफल हो गया हो।
2. गर्भाशय में संक्रमण हो,
3. बार बार गर्भपात हो रहा हो,
4. गर्भाशय अथवा श्रोणि में कोई विकृति हो,
5. गर्भाशय कमजोर हो,
6. महिला को हृदय की बीमारी अथवा उच्च रक्तचाप की समस्या होने के कारण गर्भावस्था के दौरान स्वास्थ्य समस्या होने का खतरा हो।

सरोगेसी उपचार तीन प्रकार की विधियों से किया जाता है।

जेस्टेशनल सरोगेसी– इस विधि में पुरूष के शुक्राणुओं तथा स्त्री के अण्डाणुओं का परखनली में मेल करवा कर भ्रूण तैयार किया जाता है तदुपरान्त उसे सरोगेट मदर के गर्भाशय में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है।

सरोगेट मदर को ओरल पिल्स देकर अण्डाणु रहित चक्र में रखा जाता है जिससे से उसका प्रसव होने तक उसके अपने अण्डाणु न बनें। इस प्रक्रिया में संतान का आनुवांशिक सम्बन्ध माता तथा पिता दोनों से होता है।

ट्रेडिशनल सरोगेसी – इसमें पुरूष के शुक्राणु को किसी महिला के अण्डाणु से निषेचित किया जाता है। इस सरोगेसी में संतान का अनुवांशिक सम्बन्ध सिर्फ पिता से होता है। तृतीय प्रकार की सरोगेसी में अन्डाणु माता का होता है तथा शुक्राणु किसी डोनर से लिया जाता है इस सम्बन्ध में ''विक्की डोनर' नामक फिल्म उल्लेखनीय है इस विधि का जैविक सम्बन्ध सिर्फ माता से होता है पिता से नहीं।

किराये की कोख द्वारा संतान प्राप्ति वैश्विक स्तर पर अपनायी जा रही है। ओल्ड टेस्टामेन्ट्स नामक ग्रन्थ यहूदी समाज में सरोगेसी का संकेत करता है।

इब्राहीम सारा और हागर तथा केछल और नौकर की कहानी यहूदी समाज में सरोगेसी को इंगित करती है। हालाँकि इसे सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था। परन्तु दम्पत्ति की अनुर्वरता के दर्द को कम करने के लिये इसे कभी–कभी स्वीकार कर लिया जाता था। जबकि इस्लाम धर्म इस विधि को पूरी तरह अस्वीकार करता है। इस्लाम धर्म का विचार है इस प्रक्रिया से उत्पन्न शिशु को न्यायोचित वंश नहीं मिल सकता क्योंकि इससे तीसरे व्यक्ति का वंश भी जुड़ जाता है। ईसाई धर्म में कैथोलिक मतावलम्बी सरोगेसी को अस्वीकार करते है जबकि प्रोटेस्टेंट विचारक इसके प्रति उदार है। यूरोपीय समाज में यद्यपि सरोगेसी विधि प्रयुक्त हो रही थी परन्तु सामाजिक एवं विधिक अड़चनो के कारण औपचारिक रूप से स्वीकृत नहीं थी अतः परम्परागत समाज में सरोगेट मदर अपनी संतान को 'दान' के रूप में देती थी। जबकि पाश्चात्य समाज में सरोगेट मदर संतान को अपने से दूर कर देती है, सरोगेसी विधि का प्रयोग दूसरे की भलाई करने तथा रिश्ता निभाने के नाम पर भी होता रहा है। आस्ट्रेलिया में सर्वप्रथम सरोगेसी विधि का प्रयोग 1988 में प्रकाश में आया। इस विधि से 23 मई, 1988 को एलिस फिर्कमान नामक कन्या शिशु का जन्म मेलबर्न में हुआ। मार्च 1996 को सरोगेसी को विधिक रूप प्रदान किया गया। इस समय महिला ने अपने भाई तथा भाभी का भ्रूण अपने कोख में धारण किया था। इस भ्रूण को

आस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटोरी कानून के अर्न्तगत विकसित होने दिया गया परन्तु शिशु के जन्म के बाद ही मीडिया द्वारा इस सूचना के प्रचार–प्रसार के कारण यह मुद्दा काफी चर्चा में रहा।

हिन्दू धर्म ग्रन्थों वेद–पुराणों में हजारो साल पहले इस विधि से उत्पन्न शिशुओं के विषय में उल्लेख मिलता है परन्तु इसे धार्मिक पुट प्रदान किया जाता रहा है। कुन्ती पुत्र कर्ण तथा पाण्डव इसी तकनीक का परिणाम है। धर्मग्रन्थों में लिखी इन बातों को लोग कल्पना समझते थे तथा इसे ईश्वरीय चमत्कार के रूप में चर्चित करते थे। समय परिवर्तन के साथ बदले हुये परिवेश में इन ग्रन्थों में उल्लिखित घटनाओं पर शोध कार्य हुआ और दूसरे के गर्भ से उत्पन्न इन शिशुओं को जहां भगवान का प्रसाद और चमत्कार माना जा रहा था अब लगभग हर बड़े शहर में ऐसे क्लीनिक खुल गये हैं जहाँ वास्तविक माता के गर्भ से इतर माता के गर्भ में भ्रूण विकसित होकर शिशु के रूप में जन्म ले रहा है। इस संदर्भ में प्रान्तीय सहमंत्री डॉ0 दादूभाई त्रिपाठी का कथन उल्लेखनीय है, जिसमें उन्होंने महाभारत ग्रन्थ के पात्र कृपी एवं कृपा की उत्पत्ति परखनली शिशु के रूप में व्याख्यायित किया है अगस्त्य एवं वशिष्ठ ऋषि की भी उत्पत्ति इसी प्रकार बतायी गई है। शीघ्र ही माननीय उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. दिनेश चन्द्र शर्मा ने सीता की उत्पत्ति टेस्ट ट्यूब से बताया है। ऋग्वेद में भी परखनली शिशु की उत्पत्ति से सम्बन्धित साक्ष्य मिलता है–

सत्रे ह जादा विषिता नमोभिः कुम्भे रेतः सिषिंचतुः समानम।
ततो ह मान उदियाय मध्यात् ततो जातमृषि माहुर्च सिष्ठम्।

कृत्रिम रूप से गर्भ धारण का प्रचलन लगभग 200 वर्षो से चल रहा है भारत में किराये की कोख का उदय यहाँ एक आवश्यकता के रूप में हुआ था वहीं आज यह विधि व्यवसाय का रूप धारण करती जा रही है। भारत में सरोगेसी तकनीक अन्य देशों की अपेक्षा सस्ती है। अन्तर्राष्ट्रीय संस्था फैमिली थ्रो सरोगसी की रिपोर्ट के अनुसार जहाँ अमेरिका में लगभग 67 लाख रूपया, थाइलैण्ड में 34 लाख रूपया, यूक्रेन में 33 लाख रूपया, जार्जिया में 33 लाख रूपया सफल सरोगेसी पर व्यय होता है वहीं भारत में 31 लाख रूपया खर्च होता है। भारत में सरोगेसी व्यवसाय के रूप में महाराष्ट्र प्रमुख है इसके बाद गुजरात, आन्ध्र प्रदेश तथा दिल्ली का स्थान है। भारत में सरोगेसी विधि कम खर्चीली होने के कारण यहां विदेशियों की संख्या अधिक रहती है। लॉ

कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार सरोगेसी के दृष्टिकोण से भारत विदेशी युगलों का पसंदीदा देश बन चुका है। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च को भेजे गये दो स्वतन्त्र अध्ययन के अनुसार भारत में प्रति वर्ष 2000 विदेशी शिशुओं का जन्म होता है जिनकी सरोगेट माँ भारतीय महिला होती है। यहाँ लगभग 3000 क्लीनिक सरोगेसी सुविधा प्रदान कर रहे हैं। व्यवसायिक दृष्टिकोण से यू0के0, आस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, न्यूजीलैण्ड, जापान तथा थाइलैण्ड में सरोगेसी पर प्रतिबन्ध लगाया गया है इस कारण से भी भारत में यह व्यवसाय विकास की दिशा में अग्रसर है। सरोगेसी से लगभग 13,400 करोड़ रू0 की वार्षिक आय प्राप्त होती है।

भारत में सरोगेसी प्रक्रिया अन्य देशों की अपेक्षा काफी सस्ती है अतः विदेशी यहां अधिक आते हैं। मई 2008 में उच्चतम न्यायालय ने इसे व्यावसायिक तौर पर करने की अनुमति प्रदान की। आज भारत सरोगेसी व्यवसाय का एक बड़ा केन्द्र है जो निःसंतान दम्पत्तियों के जीवन में खुशियों के रंग भरता है। भारत में बालीवुड अभिनेता शाहरूख खान एवं गौरी खान की तीसरी संतान अबराम का जन्म सरोगेसी से हुआ, आमिर खान की पहली पत्नी से इरा जुनैद थे पर किरण राव से विवाह के बाद उन्होने तीसरी संतान सरोगेसी विधि से उत्पन्न की सोहेल और सीमा खान की संतान मोहाना भी इसी विधि से उत्पन्न हुये। सतीश कौशिक की बेटी वंशिका सरोगेसी प्रक्रिया से उत्पन्न हुई। बालीवुड डायरेक्टर और कोरियोग्राफर फराह खान और शिरीष कुन्द्रा आई.वी.एफ. तकनीक से तीन शिशु उत्पन्न किये। अभिनेता तुषार कपूर सरोगेसी तकनीक की सहायता से पिता बने हैं।

जो सरोगेसी प्रक्रिया जरूरत के लिये आरम्भ की गई थी वह अब व्यवसाय और विलासिता का रूप धारण कर चुकी है बालीवुड सितारे जिनके पास पहले से ही एक या दो संतान है वह भी इस विधि से सन्तान उत्पन्न कर रहे हैं। इस विषय में सुषमा स्वराज का कथन विचारणीय है– ''फिल्म स्टार की पत्नियाँ दर्द से बचने के लिये सरोगेसी विधि को अपनाती है।'' पहले यह प्रक्रिया जहाँ चोरी छिपे अमल में लायी जाती थी। वही आज वैश्विक कारोबार के रूप में परिवर्तित हो गई है।

भारत में सरोगेसी का व्यवसाय काफी पुराना है और आज भारत वैश्विक स्तर पर सरोगेसी व्यवसाय का केन्द्र बन गया है साथ ही इस मुद्दे

को लेकर चर्चा भी लगातार चलती रही है जहां इस विधि से माता–पिता बनने वाले दम्पतियों की संख्या बढ़ी है वही दूसरी ओर इसके दुरूपयोग की घटनायें भी बढ़ी है। इस संदर्भ में भारत सरकार निरन्तर चिन्तित रही है और इसके दुरूपयोग को नियमित करने का लगातार प्रयास करती रही है। इस सम्बन्ध में 2008 में एक बिल प्रस्तुत किया गया जो ए, आर, टी रेग्यूलेशन ड्राफ्ट बिल के रूप में है, ये बिल पास नहीं हो सका। 2014 में किराये की कोख और इससे उत्पन्न शिशुओं के हितों को ध्यान में रखते हुये कानून बनाने के लिये लोकसभा में एक महत्वपूर्ण गैर सरकारी विधेयक प्रस्तुत किया गया। बीजू जनता दल के वरिष्ठ सदस्य भृतुहरि मेहताब ने विधेयक 2014 के कारणों और उद्देश्यों में कहा कि देश में किराये पर कोख देने वाली माताओं और उनसे उत्पन्न शिशुओं के हितों की रक्षा के लिये जरूरी उपबन्ध करना आवश्यक है। आयोग की 228वीं रिपोर्ट में भी उपयुक्त कानून बनाकर व्यवसायिक सरोगेसी पर रोक लगाने और जरूरतमन्द भारतीय नागरिकों के लिये नैतिक परोपकारी सरोगेसी की अनुमति की सिफारिश की गई।

विधेयक 2014 के अनुसार महत्वपूर्ण लिंग चयन और सामान्य गर्भधारण वाले मामलों में भी इसका उपयोग किये जाने जैसी समस्यायें सामने आयी है। किराये पर कोख देने की प्रक्रिया को विनियमित करने के लिये किसी भी विधायी ढांचे के अभाव ने चिन्तायें बढ़ा दी है। देखा जाय तो अनैतिक गतिविधियों, सरोगेट मदर के शोषण, सरोगसी से उत्पन्न शिशुओं को छोड़ने भ्रूणों एवं युग्मकों की खरीद बिक्री में विचौलियों के रैकेट से सम्बन्धित घटनायें लगातार देखने को मिलती रहती है। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कुछ वर्ष पूर्व जापानी आर्थोपेडिक सर्जन डॉ0 यामाडाइकुफुमी और उनकी पत्नी सरोगेट मदर के माध्यम से सन्तान प्राप्ति की इच्छा से गुजरात में डॉ. नयना पटेल द्वारा गर्भाधान करवा कर जापान लौट गये और वहां उनका तलाक हो गया। इसी बीच भारत में सरोगेट मदर ने एक कन्या शिशु को जन्म दिया। डॉ. यामाडाइकुफमी जब बच्ची को लेने गुजरात पहुँचे तो नगर पालिका ने बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र जारी नहीं किया। क्योंकि नियमानुसार पासपोर्ट पर बच्चे की माँ का नाम भी होना चाहिए। माँ का नाम न होने से पासपोर्ट नहीं बन सका। बच्ची को जापान नहीं ले जा पाये। तलाक हो जाने के कारण माँ ने बच्ची को अपनाने से भी मना कर दिया था।

राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई वह बच्ची भारत की नागरिक है अतः उसको जापान न ले जाय। इसके विरूद्ध उसकी दादी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। काफी संघर्ष के बाद उसे जापान ले जाने में सफलता मिली।

सरोगेसी के दौरान यदि सरोगेट मदर की मृत्यु हो जाय या एक से अधिक बच्चे उत्पन्न हो जाये या अनचाहे लिंग वाले शिशु का जन्म हो जाये ऐसी दशा में भी स्थितियाँ जटिल हो जाती है। अनचाहे शिशु को लोग अपनाने से इन्कार कर देते हैं तथा मृत सेरोगेट मदर के परिवार के लिये भी कोई मुआवजा धनराशि की व्यवस्था नहीं की जाती है। एक घटना में एक आस्ट्रेलियाई युगल ने शिशु को अपनाने से इसलिये इन्कार कर दिया गया कि क्योंकि वह डाउनसिन्ड्रोम नामक रोग से ग्रसित था। इसी तरह दिल्ली में 2014 में एक विदेशी जोड़े ने सरोगेसी से उत्पन्न बच्चे को सिर्फ इसलिये छोड़ दिया क्योंकि उन्हें बच्ची चाहिये थी।

इन्हीं दुश्वारियों के मद्देनजर केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल के द्वारा 2016 में सरोगेसी (नियमन) विधेयक 2016 लाया गया जिसके तहत–सिर्फ उन विवाहित दम्पति को सरोगेसी की अनुमति दी जायेगी।

- जो किसी चिकित्सीय कमी के कारण संतानोत्पति नहीं कर सकते।
- सरोगेट मदर को इच्छित दम्पत्ति का करीबी रिश्तेदार होना चाहिये। सरोगेट मदर गर्भावस्था के लिये अपने अण्डाणु दान कर सकेगी।
- यदि कोई दम्पत्ति सरोगेसी से उत्पन्न शिशु को नहीं अपनायेगा तो उसे 10 साल की कैद या 10 लाख रूपया जुर्माना भरना होगा। सरोगेसी के लिये इच्छुक दम्पत्ति को भारतीय नागरिक होने के साथ कम से कम पांच साल से विवाहित होना चाहिये तथा उनमें कम से कम एक बांझपन से पीड़ित होना अनिवार्य है।
- विदेशी दम्पत्ति को सरोगेसी की अनुमति नहीं मिलेगी।
- सरोगेट मदर विवाहित हो तथा उसकी कम से कम एक अपनी स्वस्थ संतान हो।
- सरोगेट मदर को उचित चिकित्सा खर्च के अतिरिक्त कोई भुगतान नहीं किया जायेगा। सरोगेट शिशु को इच्छुक दम्पत्ति का जैविक शिशु माना

जायेगा।

- लिव इन रिलेशन में रहने वाले, अविवाहित युगल, सिंगल पैरेन्ट बनने के इच्छुक तथा समलैंगिको को इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा।
- अगर दम्पत्ति की अपनी संतान पहले से है या उन्होंने कोई शिशु गोद ले रखा है तो उन्हें सरोगेसी की अनुमति नहीं मिलेगी।
- इस विधि को अपनाने के इच्छुक दम्पत्ति की पत्नी की उम्र 23 से 50 वर्ष तथा 26 से 55 साल की उम्र पति की होनी चाहिये।
- कोई भी महिला अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार ही सरोगेट मदर बन सकेगी।
- केन्द्रीय और राज्य सरकारें इच्छुक सरोगेट मदर को पात्रता प्रमाण देने के लिये उचित प्राधिकरण नियुक्त करेंगे। ये अधिकारी सरोगेसी क्लीनिक को भी नियन्त्रित करेंगे।
- सरोगेसी क्लीनिकों को 25 साल का रिकॉर्ड रखना होगा।

सरोगेसी से जुड़ी जटिलताओं को नियन्त्रित करने में उक्त सरकारी नियन्त्रण निश्चित ही सराहनीय प्रयास हैं। इससे किराये पर कोख देने वाली माँ के अधिकारों की रक्षा होगी तथा इस प्रक्रिया से उत्पन्न बच्चों के अभिभावकों को विधिक मान्यता प्राप्त होगी। बच्चे के बेहतर भविष्य को ध्यान में रखते हुये लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले युगलों, एकल अभिभावक, समलैंगिक सम्बन्ध रखने वाले जोड़ो तथा जिनके पास पहले से अपना बच्चा या गोद ली हुई संतान है, को सरोगेसी की अनुमति न दिये जाने का प्रावधान है। परन्तु यदि एकल अभिभावक अकेले बच्चे का पालन पोषण भली प्रकार से कर सकता है तो उसे और समलैंगिको को क्या इस अधिकार से वंचित किया जाना क्या उचित है? परिवार बनाना संविधान द्वारा प्रदत्त उनका मौलिक अधिकार है। इसी प्रकार लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ो को जब कानूनी मान्यता मिली हुई है तो उन्हें परिवार क्यों नहीं माना जा सकता है और उन्हें सरोगेसी विधि से बच्चा उत्पन्न करने की अनुमति क्यों नहीं प्राप्त हो सकती है? निश्चित ही विचारणीय बिन्दु हैं। जिन दम्पत्तियों के पास पहले से ही बच्चे है उन्हें सरोगेसी की अनुमति न देना भी उनकी निजता का हनन है विदेशी दम्पत्तियों द्वारा भारत में इस विधि को